



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 **136/2021** धारा **498A/304B/316** भादवि व **3/4 DP ACT** में वांछित चल रहे अभियुक्त अवधेश कुमार रैकवार पुत्र मोहनलाल रैकवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा सम्बन्धित थाना कुलपहाड़ महोबा को घटनास्थल मुढ़ारी तिराहा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- (1) वरिष्ठ उदेवेन्द्र कुमार मिश्रा 0नि0
- (2) कां कमरवीर यादव 0

### गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...

अवधेश कुमार रैकवार पुत्र मोहनलाल रैकवार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 10.06.2021 को SHO अजनर श्री अभिमन्यू यादव द्वारा गठित टीम जिसमें का. आसवेन्द्र सिंह व का. धर्वेन्द्र सिंह थाना अजनर जिला महोबा द्वारा अभियुक्त पंकज राजपूत पुत्र मंगल सिंह उम्र 24 वर्ष को अकौनी तिराहा ग्राम अकौनी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद झोले में 17 क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड दिल से नाजायज बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.स. 105/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...**

पंकज राजपूत पुत्र मंगल सिंह उम्र 24 वर्ष नि. ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...**

1. का. आसवेन्द्र सिंह थाना अजनर जनपद महोबा
2. का. धर्वेन्द्र सिंह थाना अजनर जिला महोबा







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना कबरई पुलिस टीम ने गैस्टर एक्ट में वांछित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार...**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.06.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली महोबा में पंजीकृत मु.अ.सं. 33/21 धारा 3(1) गैस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त दीपक अहिरवार पुत्र पंचम लाल अहिरवार उम्र 20 वर्ष को कानपुर रोड कौशिल्या पैलेस के सामने कस्वा कबरई से गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. थानाध्यक्ष कबरई दिनेश सिंह।
2. कां कृष्णचन्द्र 0
3. कां दीपक कुमार मौर्य 0
4. कां नन्दलाल पटेल 0

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...**

दीपक अहिरवार पुत्र पंचम लाल अहिरवार उम्र 20 वर्ष निवासी टूरिस्ट बंगला के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**“एण्टी रेमियो टीम ने बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक...।**

आज दिनांक 10.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत म0उ0नि0 शिल्पी शुक्ला के नेतृत्व में एण्टी रेमियो टीम ने मुख्यालय में जगह-जगह भ्रम किया जिसमें टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनकी समस्याओं के बारे में पूंछा गया एवं उन्हें आवश्यक हेल्पलाइन नम्बरों से अवगत कराते हुये सभी को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन व नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं उपस्थित सभी को हेल्पलाइन नम्बरों- वूमैन पावर लाइन-1090, महिला हेल्प लाइन-181, आपातकाल सेवा-112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108 एवं सभी को साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी गई।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह ने थाना कुलपहाड़ का किया औचक निरीक्षण दिये आवश्यक निर्देश...

आज दिनांक 10.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा थाना कुलपहाड़ का औचक निरीक्षण किया गया, इस दौरान सर्वप्रथम महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की गई थाना स्तर पर जो भी शिकायतें आई हैं उनको रिकॉर्ड कर कंप्यूटर में फीड करने व पीडित को पावती दिये जाने की समीक्षा करते हुये कहा कि थाने में जो भी फरियादी आये उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाये।

इसी क्रम में कोविड केयर डेस्क का निरीक्षण किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित करते हुये कहा कि प्रतिदिन थाना हाजा में नियुक्त समस्त अधि०/कर्म० की चेकिंग (तापमान, ऑक्सीजन लेवल आदि) कर रजिस्टर में अंकन करने के निर्देश देते हुये कहा कि इसकी नियमित रूप से मानिट्रिंग की जाये किसी भी कर्मचारी को कोविड के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तत्काल सम्बन्धित को आवश्यक उपचार मुहैया कराये जाने हेतु सम्बन्धित को सख्त निर्देश दिये, इसके उपरान्त थाना कार्यालय के अभिलेखो का अवलोकन किया गया, जिसमें रजि०नं०-4 व 8 तथा फ्लाई शीट, भूमि-विवाद रजि०, महिला उत्पीडन रजि०, एससी/एसटी उत्पीडन रजि०, माल रजि० सहित आदि रजिस्टरो को चेक किया गया तथा माल निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये, इसी क्रम में थानाहाजा पर विशेष साफ-सफाई बरतने के निर्देश दिये गये तथा थाने में तैनात पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित करते हुये सभी का कुशलक्षेम पूछा गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्याम प्रताप पटेल, व०उ०नि० देवेन्द्र कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा की गयी IGRS/CCTNS पोर्टल की समीक्षा बैठक...

आज दिनांक 10.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनपद के सभी थाने/पेशी में तैनात पुलिसकर्मचारीगणों के साथ समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह ने आईजीआरएस पोर्टल पर जनपद की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया व इस सम्बन्ध में आ रही समस्याओं को पूँछा गया साथ ही सख्त निर्देश देते हुये कहा कि आईजीआरएस पर आ रही शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कहा की सभी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय सीमा में करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करने का भी प्रयास करें, शिकायतों के निस्तारण में डिफॉल्ट छम्य नहीं, हर हालत में डिफॉल्ट जीरो होना चाहिए।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के सभी थानों में संचालित सीसीटीएनएस प्रणाली के कार्यों की समीक्षा की गयी।

इन कर्मचारियों की देखरेख में थाने/पेशी में आरजीआरएस/सीसीटीएनएस का कार्य किया जाता है जिसका पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर अंकुर जायसवाल, आईजीआरएस में नियुक्त आरक्षी अनिल विश्वकर्मा, म0आ0 शान्ती यादव द्वारा किया जाता है।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा गठित उ0नि0 राजेश कुमार मौर्य चौकी प्रभारी बजरिया के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2021 धारा 147/354/504/506/109 IPC व SC/ST Act में वांछित चल रहे अभियुक्तगण क्रमशः 1. रूपेंद्र राजपूत पुत्र रामसिंह राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष 2. रविन्द्र राजपूत पुत्र सुखलाल राजपूत उम्र 22 वर्ष को झलकारी बाई तिराहा जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

- (1) उ राजेश कुमार मौर्य चौकी प्रभारी बजरिया 0नि0थाना कोतवाली महोबा।
- (2) कां 0रन्जीत सिंह।

### **गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...**

1. रूपेंद्र राजपूत पुत्र रामसिंह राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष
2. रविन्द्र राजपूत पुत्र सुखलाल राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी नाथूपुरा महोबा।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना श्रीनगर पुलिस ने 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल**



आज दिनांक 10.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 श्रीनगर संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/21 धारा 342/323/504/506 भादवि व

3(1)द,ध, 3(2)5क, SC/ST ACT से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त 1. रामविशाल उर्फ बबलू उम्र 35 वर्ष 2. रामआसरे उर्फ कल्लू उम्र 38 वर्ष, पुत्रगण कढोरी माली निवासीगण ग्राम तिन्दौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. रामविशाल उर्फ बबलू उम्र 35 वर्ष
2. रामआसरे उर्फ कल्लू उम्र 38 वर्ष, पुत्रगण कढोरी माली निवासीगण ग्राम तिन्दौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. उ0नि0 हेमराज सिंह
2. कां0 अवधेश कुमार





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 10.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मय फोर्स के शहर में पैदल गस्त के दौरान की गई संदिग्धों की चेकिंग एवं सीओ चरखारी द्वारा चौकी गौरहारी का किया गया निरीक्षण**



आज दिनांक 10.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गस्त करके क्षेत्र के मुख्य बाजार/चौराहों, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं आमजन को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरुक करते हुए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि नियमों का पालन करने की अपील की गई। जनपद के समस्त थानों द्वारा भी थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके उक्त नियमों के बारे में लोगो को जागरुक किया गया।



क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा चौकी गौरहारी (थाना चरखारी) का निरीक्षण किया गया एवं चौकी प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **43 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **15 व्यक्तियों से 2450/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

